


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2013/चैत्र 25, 1935

No. 848]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2013/CHAITRA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2013

(आयकर)

का.आ. 962(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के तहत निर्धारित आर्म'स लेन्थ मूल्य और वह मूल्य जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप में हुआ है, के बीच अन्तर थोक व्यापारियों के लिए परवर्ती के एक प्रतिशत और सभी अन्य मामलों में परवर्ती के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, उस स्थिति में, वह मूल्य जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप में हुआ है को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आर्म'स लेन्थ मूल्य समझा जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 30/2013/फा. सं. 500/185/2011-वि.क.प्र.-I]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April 2013

[INCOME TAX]

S.O. 962(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 92C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one per cent of the latter for wholesale traders and three per cent of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for assessment year 2013-14.

[Notification No. 30/2013/F. No. 500/185/2011-FTD-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.